न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 23 / 2024 (अपील)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2024 / 78

उनवान

1. गुलाब बाई बेवा मांगीलाल निवासी करवाड तहसील पीपल्दा,जिला कोटा
2. कमलेश आत्मज मांगीलाल निवासी करवाड तहसील पीपल्दा,जिला कोटा
3. गिरिराज आत्मज मांगीलाल निवासी करवाड तहसील पीपल्दा,जिला कोटा
4. चन्द्रकला पुत्री मांगीलाल निवासी करवाड तहसील पीपल्दा,जिला कोटा

(अपीलाण्टस)

बनाम

1. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा,जिला कोटा
5. तेजमल आत्मज मांगीलाल निवासी करवाड तहसील पीपल्दा,जिला कोटा,हाल केन्द्रीय कारागृह कोटा।

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री आशीष भारद्वाज (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2– श्री रूपनारायण सिसोदिया (अभिभाषक रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा आदेश दिनांक 3.12.2017 अन्तर्गत धारा 75 राज0 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय_ दिनांकः– 19/12/25

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आदेश योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय,विधि एवम् तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। ग्राम फूसोद पटवार हलका डूंगरली तहसील पीपल्दा जिला कोटा में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की शामलाती खाते की आराजी खसरा नं. 603 की रकबा 3.07 है0 स्थित है, जिसमें अपीलान्ट का 1/5,1/5 हिस्सा निहित जो कि ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल की पूर्व में लाओलाद मृत्यु हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नं. 1 के द्वारा अपीलान्टस के खाते की कृषि आराजी की जमाबंदी पर नोट अंकित किया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा द्वारा बिना किसी जॉच व आधार के खाते में नाम अंकित हुए बिना किसी भी प्रकार की विधिक प्रकिया अपनाये उपरोक्त विवादित आराजीयात् की जमाबंदी

अति. जिला कलक्टर
कोटा

में स्थगन आदेश होने के बाबत् नोंट अंकित किया गया है जो कि अपीलान्ट द्वारा उक्त नोट के बाबत् सूचना के अधिकार के तहत उक्त नोट के के संबध में जानकारी मागने पर दिनांक 11.12.2023 को तहसीलदार पीपल्दा द्वारा सूचना दी गई जिसमें उक्त आराजीयात् के पर उपखण्ड अधिकारी के फोन पर सूचित करने पर जमाबंदी में नोट अंकित किया गया है। अपीलान्ट उक्त आराजी में सह खातेदार है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आदेश व आधार पर कानूनी नियमों व विधि सम्वत् बने नियमो को दरकिनार करते हुए उक्त नोट जमाबंदी पर अंकित किया गया है जो कि हर प्रकार से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी सर्वप्रथम पटवारी ने जमाबंदी पर नोट अंकित होने कि जानकारी देने से हुई इस वजह से अपील जानकारी की तिथि से अवधि मध्य पेश है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाकर विवादित आराजीयात् ग्राम फूसोद खसरा न. 603 रकबा 3.07 है0 भूमि की जमाबंदी पर लगाया अवैधानिक नोट जो कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी विधिक प्रकिया अपनाये लगाया गया है को हटाये जाने के आदेश प्रदान करे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जर्ये समन्न की गई। रेस्पोडेन्ट कम .2 की ओर से अभिभाषक श्री रूपचन्द सिसौदिया द्वारा वकालतनामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/2025/ 1653 दिनांक 29.08.2025 से अवगत करवाया है कि विवादित आराजी की जमाबंदी पर लगाये गये स्थगन नोट से संबधित पत्रावली कार्यालय में तलाश करने के उपरान्त भी उपलब्ध नही हो पाई है। दिनांक 3.08.2021 को तहसील कार्यालय समीपस्थ नदी में आई बाढ (प्राकृतिक आपदा) से ग्रसित हो जाने के कारण अधिकांश कार्यालय रेकार्ड नष्ट हो चुका है। अतः वाछित रेकार्ड से उपलब्ध करवाया जान संभव नही है।

वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये बगैर अपीलान्ट के शामलाती खाते की भूमि में स्थगन का नोट अंकित कर दिया है उसे हटाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह अपील आदेश दिनांक 3.12.2017 के विरूद्ध अपीलाण्ट द्धारा लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ दिनांक 11.07.2024 को पेश की गई है, जो विलम्ब से पेश हुए है। विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का मुख्य कारण अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने पर होने के कारण विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना अवगत करवाया है। अतः न्यायहित को

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

वकील पक्षकारान् की बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन एवं मनन के उपरान्त न्यायालय का यह मानना है कि अधीनस्थ न्यायालय को विवादित अराजीयात् की जमाबंदी पर नोट अंकित करते समय संक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त करना चाहिए था। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि यदि विवादित आराजीयात् के संबध किसी संक्षम न्यायालय का आदेश न हो तो ग्राम फूसोद तहसील पीपल्दा जिला कोटा के खसरा न. 603 रकबा 3.07 है0 भूमि की जमाबंदी पर लगाये गये स्थगन आदेश को हटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 19/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा

मुद्रा